सीओ.डीआईसीजी.आईओडी.सं.5/04-01-046/2026-2027 01 अप्रैल 2026

सभी बीमाकृत बैंक

महोदय/महोदया,

जोखिम-आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन –
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

कृपया दिनांक 01 अक्टूबर 2025 के डीआईसीजीसी (बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान और रिटर्न जमा करना) निदेश, 2025 का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सभी बीमाकृत बैंकों को 01 अक्टूबर 2025 से सम्यक पोर्टल के माध्यम से जमा बीमा (डीआई) रिटर्न प्रस्तुत करने, प्रीमियम भुगतान करने और सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था। दिनांक 06 फरवरी 2026 के "जोखिम-आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन" पर डीआईसीजीसी परिपत्र सीओ.डीआईसीजी.आईओडी.सं. एस1803 /04-01-046/2025-2026 के पैरा 18 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि निगम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले आरबीपी फ्रेमवर्क के तहत बीमाकृत बैंकों के लिए निर्देश जारी करेगा।

2. यह सूचित किया जाता है कि आरबीपी फ्रेमवर्क में परिवर्तन के बावजूद, सम्यक पोर्टल के माध्यम से डीआई रिटर्न जमा करने और प्रीमियम भुगतान की व्यापक प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएं/प्रक्रिया-प्रवाह पूर्ववत रहेंगे, जैसा कि उपरोक्त निर्देश में प्रदान किया गया है। संक्षेप में, वर्तमान प्रक्रिया प्रवाह इस प्रकार है:

- बैंक का प्रथम प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (एएस1 या बैंक-मेकर) सम्यक पोर्टल में लॉग इन करेगा, डीआई रिटर्न विवरण प्रस्तुत करेगा और सबमिशन को ई-हस्ताक्षर करेगा, जिसे बाद में सत्यापन और ई-हस्ताक्षर के लिए दूसरे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (एएस2 या बैंक-चेकर) के पास भेजा जाएगा।

- जैसे ही एएस1, डीआई रिटर्न में जमा राशि आंकड़े डालेगा, सम्यक लागू प्रीमियम दर (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी आरबीपी दर) के आधार पर बैंक को देय प्रीमियम की गणना स्वचालित रूप से कर देगा।
- जैसे ही एएस2 द्वारा डीआई रिटर्न स्वीकृत हो जाता है, बैंक का भुगतान प्रारंभकर्ता (पेमेंट इनिशिएटर) उक्त छमाही के लिए निवल देय राशि (बैंक की प्रभावी आरबीपी दर के आधार पर) दर्शाने वाला भुगतान चालान जेनरेट करने में सक्षम हो जाएगा।
- बीमाकृत बैंकों को 'सम्यक' द्वारा जेनरेट किए गए चालान के अनुसार ठीक देय राशि, जो दो दशमलव स्थानों तक सटीक हो (केवल एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के द्वारा) चालान की वैधता समाप्त होने से पहले, लाभार्थी खाता संख्या और आईएफएससी कोड (चालान में निर्दिष्टानुसार) पर भेजनी होगी।
- भुगतान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, उक्त डीआई रिटर्न जमा माना जाएगा। डीआई जमा होने के बाद, सम्यक पर ऑनबोर्ड किए गए बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षक अपना प्रमाणन प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. गोपनीयता बनाए रखने के लिए, जोखिम रेटिंग और प्रभावी प्रीमियम दर 'सम्यक पोर्टल' के माध्यम से, अत्यंत गोपनीय रूप से केवल बीमाकृत बैंक के एमडी/सीईओ /चेयरमैन को ही उपलब्ध कराई जाएगी। किसी टियर 1 बैंक के अनुरोध पर, इस प्रयोजन से एमडी/सीईओ द्वारा नामित पूर्णकालिक निदेशक को सम्यक पोर्टल का अतिरिक्त एक्सेस प्रदान किया जा सकता है। इस संबंध में, डीआई रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान बैंक-मेकर/चेकर (एएस1/एएस2) से एमडी/सीईओ /चेयरमैन और नामित प्रतिनिधि, यदि लागू हो, के संबंधित पत्राचार विवरण एकत्रित किए जाएंगे। अतिरिक्त प्रमाणीकरण पर आधारित विस्तृत प्रक्रिया, एमडी/सीईओ या नामित प्रतिनिधि को उचित समय पर सूचित की जाएगी।

4. बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरबीपी रेटिंग्स के एक्सेस के लिए एमडी/सीईओ या नामित प्रतिनिधि का संपर्क विवरण (अर्थात नाम, पदनाम, ईमेल आईडी) प्रामाणिक, सटीक और पदग्रहण में परिवर्तन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपडेट किया गया हो। इस संबंध में कोई भी गलत, भ्रामक या गलत बयानी, जिससे गोपनीयता प्रोटोकॉल के भंग होने की संभावना हो, उसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और उचित समझे जाने पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी। डीआई रिटर्न या सम्यक

एप्लिकेशन में बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी की सटीकता और प्रामाणिकता के लिए बैंक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

5. बीमाकृत बैंकों को आरबीपी फ्रेमवर्क के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए, अनुबंध में विस्तृत एफएक्यू दिए गए हैं।

भवदीय,

ह.

(अनूप कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: डीआईसीजीसी के आरबीपी फ्रेमवर्क संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

अनुबंध

डीआईसीजीसी के आरबीपी फ्रेमवर्क संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

प्र.1. बीमाकृत बैंक रेटिंग मॉडल का विवरण कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

बीमाकृत बैंकों को जारी परिपत्र (डीआईसीजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध) में आरबीपी फ्रेमवर्क की विस्तृत रूपरेखा प्रदान की गई है। बीमाकृत बैंकों पर लागू प्रीमियम दरें और जोखिम रेटिंग, उचित समय पर संबंधित बैंकों के एमडी/सीईओ या नामित प्रतिनिधि (टियर 1 बैंक) के साथ पूरी गोपनीयता के साथ ऑनलाइन साझा की जाएंगी।

प्र.2. क्या बैंकों को जोखिम-आधारित प्रीमियम के आकलन के लिए डीआईसीजीसी को कोई डेटा प्रस्तुत करना होगा?

डीआईसीजीसी सीधे बैंकिंग पर्यवेक्षकों (आरबीआई/नाबार्ड) और अन्य उपयुक्त स्रोतों से डेटा प्राप्त करेगा। बीमाकृत बैंकों को पहले की ही तरह केवल डीआई रिटर्न जमा करना होगा। बैंकों से किसी विशिष्ट डेटा की जरूरत या स्पष्टीकरण की स्थिति में, डीआईसीजीसी आवश्यकता पड़ने पर बैंक को सूचित करेगा।

प्र.3. प्रभावी दर, कार्ड दर जिसे वार्षिक आधार पर दर्शाया जाता है, मॉडल रेटिंग और विंटेज इंसेंटिव पर आधारित है। छमाही भुगतान चक्र के लिए दर कैसे निर्धारित की जाएगी?

डीआईसीजीसी विनियमावली, 1961 की धारा 19(1) के अनुसार, बीमाकृत बैंकों को निम्नानुसार प्रीमियम का भुगतान करना होगा (अधिक विवरण के लिए डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 देखें):

छमाही	प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि	लागू निर्धारणीय जमाराशि	प्रभावी प्रीमियम दर
अप्रैल-सितम्बर	नवंबर अंत	पिछली छमाही का मार्च अंत	प्रति वर्ष प्रभावी प्रीमियम दर का आधा
अक्टूबर-मार्च	मई अंत	पिछली छमाही का सितंबर अंत	

प्रत्येक छमाही डीआई चक्र के लिए, बीमाकृत बैंकों को प्रभावी वार्षिक प्रीमियम दर के आधे के बराबर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर, बी मॉडल रेटिंग और 25% विंटेज इंसेंटिव वाले बैंक की प्रभावी प्रीमियम दर 10*(1-25%) पैसे प्रति वर्ष, अथवा निर्धारणीय जमाराशि (एडी) के प्रति

₹100 पर 7.5 पैसे प्रति वर्ष होगी। तदनुसार, संबंधित छमाही डीआई चक्र के लिए, बैंक का प्रीमियम, प्रभावी दर का आधा या एडी के प्रति ₹100 पर 3.75 पैसे (7.5 पैसे प्रति वर्ष का आधा) की दर से संगणित किया जाएगा। प्रीमियम भुगतान केवल दो दशमलव स्थानों तक सीमित होगा। बैंक-मेकर (एएस1) द्वारा डीआई रिटर्न दाखिल करते समय संबंधित जमा आंकड़े प्रस्तुत करने पर, भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि की गणना डीआईसीजीसी के 'सम्यक' पोर्टल पर स्वचालित रूप से हो जाएगी।

प्र.4. क्या डीआईसीजीसी भुगतान के समय बैंकों के साथ आरबीपी मॉडल रेटिंग साझा करेगा?

प्रभावी दर के आधार पर भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि डीआईसीजीसी के 'सम्यक' पोर्टल पर उपलब्ध होगी। प्रभावी दरें और आरबीपी मॉडल-आधारित रेटिंग ग्रेड बैंकों के एमडी/सीईओ के साथ अत्यंत गोपनीय रूप से साझा किए जाएंगे।

प्र.5. बीमाकृत बैंकों की रेटिंग कितनी बार अपडेट की जाएगी?

आरबीपी मॉडल रेटिंग की गणना प्रत्येक छमाही डीआई प्रीमियम चक्र के लिए की जाएगी।

प्र.6. शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के टियर-वार वर्गीकरण के लिए, किस तारीख तक के जमाराशि पर विचार किया जाएगा?

आरबीआई अनुदेशों के अनुसार, टियर-वार वर्गीकरण के लिए ठीक पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार जमा राशि को गिना जाता है। आरबीपी के लिए, प्रभावी दरों की गणना करते समय वर्ष के अंत के नवीनतम उपलब्ध ऑडिट किए गए डेटा पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अप्रैल-सितंबर 2026 छमाही के लिए, बैंकों के टियर-वार वर्गीकरण हेतु मार्च 2025 के ऑडिट किए गए डेटा का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि आरबीपी दरों की गणना के समय मार्च 2026 का ऑडिट किया गया डेटा शायद उपलब्ध न हो।

प्र.7. डीआईसीजीसी बिना किसी पुनर्रचना या बड़ी विपदा की घटना के संतोषजनक संचालन का आकलन कैसे करेगा?

यदि परिपत्र में शामिल घटनाओं की सांकेतिक सूची के अनुसार बैंक के पास डिफ़ॉल्ट/संकट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसे संतोषजनक संचालन माना जाएगा। यदि किसी संकटग्रस्त बैंक (जैसे बैंक ए) का किसी अन्य बैंक (बैंक बी) में विलय हो जाता है, तो इस घटना को बैंक बी के लिए संकट या डिफ़ॉल्ट की घटना नहीं माना जाएगा (बैंक ए का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है)।

प्र.8. क्या आप परिपत्र के पैरा 13 के लिए उदाहरण दे सकते हैं, जो इस प्रकार है "आरबीआई के सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (एसएएफ)/प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के अंतर्गत सभी यूसीबी 12 पैसे की कार्ड दर का भुगतान करना जारी रखेंगे और उन पर उस वित्तीय वर्ष से आरबीपी के लिए विचार किया जाएगा जिस वर्ष बैंक एसएएफ / पीसीए से बाहर आता है"? इसके अतिरिक्त, आरबीआई के सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत आने वाले यूसीबी के लिए लागू प्रीमियम दरें क्या होंगी?

जब कोई यूसीबी, आरबीआई के सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (एसएएफ)/प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क (पीसीए) या एआईडी के तहत आता है, तो बैंक को तत्काल अगले प्रीमियम चक्र से कार्ड दर पर (वर्तमान में, एडी के प्रति ₹100 पर 12 पैसे) प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आरबीपी के तहत लाए जाने या विपंजीकृत होने तक बैंक कार्ड दर पर भुगतान करना जारी रखेगा।

यदि कोई बैंक आरबीआई के एसएएफ / पीसीए या एआईडी (बशर्ते एआईडी से बाहर निकलने के बाद वह एसएएफ/पीसीए के तहत बना न रहे) से बाहर निकलता है (मान लीजिए, वित्त वर्ष 2027 के दौरान), तो उस बैंक पर बाहर निकलने वाले वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 28) से आरबीपी के लिए विचार किया जाएगा।

प्र.9. रेटिंग ओवरराइड नीति के अंतर्गत किन प्रतिकूल सूचनाओं/गतिविधियों पर विचार किया जाता है?

रेटिंग ओवरराइड का कारण बन सकने वाली प्रतिकूल जानकारी/गतिविधियों की उदाहरण-स्वरूप सूची (अपूर्ण) नीचे दी गई है:

क) पर्यवेक्षी रूप से मूल्यांकित डेटा और रिपोर्ट किए गए डेटा के बीच महत्वपूर्ण विचलन।

ख) पर्यवेक्षक उन जोखिमों के बढ़ते स्तर के बारे में सूचित कर रहे हैं, जो आरबीपी मॉडल द्वारा सीधे तौर पर कैप्चर नहीं किए गए हैं।

ग) नई जानकारी की उपलब्धता (जैसे बीमाकृत बैंक के किसी बड़े/महत्वपूर्ण उधारकर्ता द्वारा डिफ़ॉल्ट, चलनिधि मुद्दे, गलत रिपोर्टिंग आदि) जो आरबीपी रेटिंग के लिए उपयोग किए गए डेटा में शामिल न हो सकी हो।

घ) समाचार/मीडिया में कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट (जैसे धोखाधड़ी का पता चलना, शासन संबंधी मुद्दे, आस्ति गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, आदि)।

प्र.10. रेटिंग ओवरराइड के कारण संशोधित दर पर प्रीमियम के भुगतान का उदाहरण दें?

रेटिंग घटने की स्थिति में, बैंकों को अगले ही छमाही प्रीमियम चक्र से उच्च दर पर भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि 1छमाही27 (अर्थात अप्रैल 2026 – सितंबर 2026) के दौरान रेटिंग ओवरराइड की जाती है, तो बैंकों को अगली ही छमाही प्रीमियम चक्र (अर्थात अक्टूबर 2026 – मार्च 2027) से संशोधित उच्च दर पर भुगतान करना होगा, जब तक कि डीआईसीजीसी के आकलन के अनुसार स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। रेटिंग ओवरराइड होने पर संबंधित बैंकों को भुगतान प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा।

प्र.11. बैंकों द्वारा संशोधित डीआई रिटर्न जमा करने के मामले में कौन सी दर लागू होगी?

बैंकों द्वारा संशोधित डीआई रिटर्न जमा करने की स्थिति में, यदि आवश्यक हो तो, उस अवधि के लिए प्रीमियम की फिर से गणना की जाएगी जिससे डीआई रिटर्न संबंधित है।

प्र.12. यदि कोई बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) से यूनिवर्सल बैंक, विदेशी बैंक शाखा से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस), या यूसीबी से एसएफबी में परिवर्तित होता है, तो क्या उस बैंक को नव-पंजीकृत बैंक माना जाएगा?

जहाँ किसी बैंक का 'स्मॉल फाइनेंस बैंक' से 'यूनिवर्सल बैंक', विदेशी बैंक शाखा से भारत में विदेशी बैंक की 'पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी' (डब्ल्यूओएस), या यूसीबी से एसएफबी आदि में परिवर्तन होता है, तो बैंकिंग नियामक की मंजूरी के बाद, रूपांतरण से पहले एसएफबी /विदेशी बैंक शाखा/ यूसीबी पर लागू आरबीपी रेटिंग को अगले प्रीमियम चक्र तक माना जाएगा। यूसीबी के वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन के वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष के लिए टियर-1 आरबीपी रेटिंग मॉडल लागू होगा। पेमेंट बैंक (पीबी) के स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) आदि में परिवर्तन के मामले में, बैंक को परिवर्तन के वर्ष के अगले वर्ष आरबीपी के लिए कंसीडर किया जाएगा। विंटेज लाभ के लिए, रूपांतरण से पहले बैंक के अस्तित्व पर भी विचार किया जाएगा।

प्र.13. किसी भी प्रीमियम चक्र के दौरान पंजीकृत नए बैंकों के लिए प्रीमियम दर क्या होगी?

पंजीकृत नए बैंक को आरबीपी फ्रेमवर्क के तहत रेटिंग के लिए पर्याप्त डेटा/जानकारी (लेखापरीक्षित वित्तीय वर्ष के अंत का डेटा और/या पर्यवेक्षी रेटिंग) उपलब्ध होने तक 12 पैसे प्रति वर्ष (छमाही के लिए 6 पैसे) की कार्ड दर पर भुगतान करना होगा।

प्र.14. बैंकों के विलय/समामेलन के मामले में, प्रीमियम की गणना कैसे की जाएगी?

बैंकों का विलय होने पर, बैंक विलय की प्रभावी तिथि तक अपनी-अपनी दरों पर भुगतान करेंगे। तत्पश्चात, बैंक अधिग्राहक/अंतरिती बैंक पर लागू दरों पर भुगतान करेंगे। विंटेज इंसेंटिव, अधिग्राहक/अंतरिती बैंक पर आधारित होगा।

दो या अधिक बैंकों के समामेलन (समामेलन होने वाले बैंक) से एक नई इकाई बनने की स्थिति में, बैंक समामेलन की प्रभावी तिथि तक अपनी-अपनी दरों पर भुगतान करेंगे। नई इकाई के लिए मॉडल दर का निर्धारण समामेलन करने वाले बैंकों के आधार पर किया जाएगा, जब तक कि नई इकाई के लिए पर्याप्त डेटा/जानकारी उपलब्ध नहीं हो जाती। समामेलन करने वाले बैंकों के विंटेज इंसेंटिव में से जो अधिक होगा, उसे ही माना जाएगा।

प्र.15. प्रीमियम चक्र के दौरान जिन बैंकों को विपंजीकृत कर दिया जाता है, उनके लिए लागू प्रीमियम दर क्या होगी?

बैंक का विपंजीकरण प्रीमियम भुगतान की अवधि को प्रभावित करता है, न कि प्रीमियम की दर को। अन्य निर्देशों के लिए, कृपया डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 और मौजूदा निर्देशों का संदर्भ लें।

प्र.16. क्या बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक को प्रभावी प्रीमियम दरों और मॉडल रेटिंग को साझा किया जाएगा ताकि वे प्रमाणित कर सकें कि भुगतान किया गया प्रीमियम सही है?

आरबीपी फ्रेमवर्क के तहत प्रभावी दर के अनुसार बैंक द्वारा देय प्रीमियम राशि सिस्टम में स्वचालित रूप से कैलकुलेट हो जाती है। हालाँकि, लेखा परीक्षक को यह सत्यापित और प्रमाणित करना होगा कि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया एडी डेटा, जिसके आधार पर प्रीमियम राशि की गणना की गई है, डीआईसीजीसी के मौजूदा निर्देशों के अनुसार सही है।

प्र.17. आरबीपी से संबंधित प्रश्नों/शिकायतों के लिए कहाँ संपर्क करें?

आरबीपी से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए कृपया निम्नलिखित को संपर्क करें:

मुख्य महाप्रबंधक
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन
(रिस्क प्रीमियम रेटिंग डिवीज़न)
भारतीय रिज़र्व बैंक
दूसरी मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने

भायखला, मुंबई– 400 008

आरबीपी से संबंधित प्रश्नों के लिए ईमेल आईडी depositinsurancepremium@rbi.org.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। अन्य प्रश्न डीआईसीजीसी वेबसाइट पर दिए गए संबंधित ईमेल पतों पर भेजे जा सकते हैं।

हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि रेटिंग या भुगतान किए गए/देय वास्तविक प्रीमियम से संबंधित जानकारी किसी भी तरह से उजागर न हो।

*****

CO.DICG.IOD.No.5/04-01-046/2026-2027

April 01, 2026

All Insured Banks

Dear Sir/Madam,

Implementation of Risk Based Premium (RBP) Framework- Frequently Asked Questions (FAQs)

Please refer to the DICGC (Payment of Deposit Insurance Premium and Submission of Returns by Insured Banks) Directions, 2025 dated October 01, 2025 wherein, *inter alia*, all insured banks were advised to submit Deposit Insurance (DI) Returns, remit premium payments, and statutory auditor certifications via the Samyak portal w.e.f. October 01, 2025. A reference is also invited to para 18 of DICGC circular CO.DICG.IOD.No.S1803/04-01-046/2025-2026 dated February 06, 2026 on "Implementation of Risk Based Premium (RBP) Framework" wherein, *inter alia*, it has been stated that the Corporation shall be issuing set of instructions for the insured banks under the RBP framework to be implemented from April 1, 2026.

2. It is advised that notwithstanding the transition to RBP framework, the broader procedural requirements/ process-flows for submission of DI returns and premium payment through the Samyak portal remains unchanged as provided in the above Direction. To summarise, the extant process flow is reiterated as under:

- The first authorized signatory of the bank (AS1 or bank-maker) will log onto Samyak portal, furnish the DI Return details and e-sign the submission, which will then be routed to the second authorized signatory (AS2 or bank-checker) for verification and e-signing.
- Samyak will auto-compute the premium payable based on the applicable premium rate (effective RBP rate w.e.f April 1, 2026) to the bank, once AS1 enters the deposit figures under DI Return.

- Once the DI Return is approved by AS2, the bank's payment initiator shall be able to generate a payment challan reflecting the net payable amount (based on the bank's effective RBP rate) for the said Half Year.
- Insured banks must remit the exact payable amount, specific to two decimal places (via NEFT/ RTGS/ IMPS only) as per the Samyak generated challan to such beneficiary account number and IFSC code (as specified in the challan) before the expiry of the challan's validity.
- After the payment is successfully settled, the said DI return will be deemed to be submitted. Post DI submission, the banks' Statutory Auditors as onboarded onto Samyak can furnish their certification.

3. To maintain strict confidentiality, the risk ratings and effective premium rate will be made available only to the MD/CEO/ Chairman of the insured bank via Samyak Portal, in strict confidence. At the request of a Tier 1 bank, additional access to Samyak portal for this purpose can be provided to a whole time director designated by MD/CEO. In this regard, relevant correspondence details of MD/CEO/Chairman and the designated representative, if applicable, shall be collected from bank-maker /checker (AS1/AS2) during DI Return filing process. Detailed process, based on additional factor authentication will be communicated to MD/CEO or the designated representative, in due course.

4. Banks must ensure that the contact details (e.g., name, designation, email ID) of the MD/CEO or the designated representative are furnished for accessing RBP ratings are bona-fide, accurate and updated immediately but not later than 7 days from the date of change in incumbency. Any submission of false, misleading or misrepresentation in this regard, which may have the potential to breach the confidentiality protocols, will be seen as a serious violation and will attract supervisory action as deemed appropriate. The bank shall bear full accountability for the correctness and authenticity of any information furnished at their end in the DI return or Samyak application.

5. In order to provide greater clarity to the insured banks on the RBP framework, detailed FAQs are given in the Annex.

Yours Sincerely,

(Anup Kumar)
Chief General Manager

Enclosure: Frequently Asked Questions (FAQs) on RBP framework of DICGC

ANNEX

Frequently Asked Questions (FAQs) on RBP framework of DICGC

Q1. *Where can insured banks find details of rating models?*

Broad contours of RBP framework are provided in the circular issued (available on DICGC website) to the insured banks. Premium rates applicable to insured banks and risk ratings will be shared in strict confidence online with the MD/CEO or the designated representative (Tier 1 bank) of the respective banks in due course.

Q2. Are banks required to submit any data to DICGC for estimation of risk-based premium?

DICGC will directly source data from banking supervisors (RBI/NABARD) and other sources as deemed appropriate. Insured banks are required to submit only DI return as hitherto. In case of any specific data requirement or clarification required from the bank(s), DICGC will intimate bank(s) as and when required.

Q3. Effective rate is based on Card Rate, which is shown on per annum base, model ratings and vintage incentives. How will the rate be arrived for half-yearly payment cycles?

As per Section 19(1) of DICGC Regulations, 1961, insured banks are required to pay premiums as under (refer to DICGC General Regulations, 1961 for more details):

Half-Year Period	Last date to Pay Premium	Applicable Assessable Deposit	Effective Premium Rate
April-September	End-May	End-March of previous HY	Half of the effective premium rate per annum
October-March	End-November	End-September of previous HY	

For each Half-yearly (HY) DI cycle, the insured banks shall be required to pay premium at half of the effective per-annum premium rate. To Illustrate, a bank with model rating of B and vintage incentive of 25% shall have effective premium rate of 10*(1-25%) paisa per annum or 7.5 paisa per annum per ₹100 of assessable deposit (AD).

Accordingly, for the relevant half-yearly DI cycle, bank's premium will be computed at half of the effective rate or 3.75 paise (half of 7.5 paise per annum) per ₹100 of AD. Premium payment will be confined to two decimal places. Premium amount to be paid will be automatically computed on the 'Samyak' Portal of DICGC, once the bank-maker (AS1) furnishes the relevant deposit figures while filing the DI Return.

Q4. Whether DICGC will share RBP model ratings with the banks at the time of payment?

Premium amount to be paid based on the effective rate will be available in the 'Samyak' Portal of DICGC. Effective rates and RBP model based rating grades will be shared with the MD/CEO of the banks in strict confidence.

Q5. What is frequency at which ratings will be updated for the insured banks?

RBP model ratings will be worked out for each half-yearly DI premium cycle.

Q6. For tier-wise classification of Urban Co-operative Banks (UCBs), deposits as on which date will be considered?

As per RBI instructions, deposits as per the audited balance sheet as of 31st March of the immediately preceding financial year are reckoned for tier-wise classification. For RBP, latest available audited year-end data at the time of calculating effective rates shall be considered. To Illustrate, for April-Sep 2026 HY, audited data as of March 2025 shall be used for tier-wise classification of banks as audited data for March 2026 may not be available at the time of calculating the RBP rates.

Q7. How will DICGC assess satisfactory conduct without any event of restructuring/major distress?

If a bank has no record of default/distress as per illustrative list of events included in the circular, it shall be deemed as satisfactory conduct. In case a bank under distress (say Bank A) is merged with another bank (Bank B), this event shall not be considered as an event of distress/default for the Bank B (Bank A ceases to exist now).

Q8. Can you provide illustration for Para 13 of the Circular which reads as "All UCBs under the Supervisory Action Framework (SAF)/ Prompt Corrective Action (PCA) of RBI will continue to pay the card rate of 12 paise and will be considered

for RBP from the financial year following the year in which the bank exits SAF/PCA"? Further, what would be premium rates applicable for UCBs placed under All-inclusive Directions (AID) of RBI.

When a UCB is placed under Supervisory Action Framework (SAF)/ Prompt Corrective Action Framework (PCA) or AID of the RBI, the bank shall pay premium at the card rate (presently, 12 paise per ₹100 of AD), effective from the immediate next premium cycle. The bank shall continue to pay at card rate till the time it is brought under RBP or is deregistered.

If a bank exits SAF/PCA or AID (provided it does not continue under SAF/PCA after it exits AID) of RBI (say during FY27), then the bank shall be considered for RBP from the financial year following the year in which it exited (i.e., FY28).

Q9. What are adverse information/developments considered under rating override policy?

Illustrative list of adverse information/developments (non-exhaustive), which may lead to a rating override, is as under:

a) Significant deviation between supervisory assessed data and reported data.
b) Supervisors informing about material build-up of risks, not directly captured by the RBP model.
c) Availability of new information (such as default by a large/significant borrower of the insured bank, liquidity issues, misreporting etc.) which may not be captured in data used for RBP rating.
d) Any adverse reports in news/media (such as detection of fraud, governance issues, rapid deterioration in asset quality, etc.).

Q10. Provide Illustration for payment of premium at revised rate on rating override?

Banks shall be required to pay at the higher rate from immediate next HY premium cycle in case of rating downgrade.

To illustrate, if rating override is done during 1HFY27 (i.e. Apr 2026 – Sep 2026), banks will be required to pay at the revised higher rate from the immediate next HY premium cycle (i.e. Oct 2026 – March 2027) until it returns to normalcy in the assessment of DICGC. Process for payment shall be intimated to concerned banks in case of rating overrides.

Q11. Which rate will be applicable in case of submission of revised DI return by banks?

In case of submission of revised DI return by banks, premium for the period for which the DI return pertains to shall be recalculated, if necessary.

Q12. In case of transition of bank from Small Finance Bank (SFB) to Universal Bank, Foreign Bank Branch to Wholly Owned Subsidiary (WOS), UCBs to SFB, etc., whether bank would be treated as newly registered bank?

Where there is transition of a bank from Small Finance Bank to Universal Bank, Foreign Bank Branch to Wholly Owned Subsidiary (WOS) of the foreign bank in India or UCB to SFB etc., after the approval of the banking regulator, RBP rating as applicable to the SFB/Foreign bank branch /UCB prior to conversion shall be considered till next premium cycle. In case of conversion of UCB to commercial bank, Tier-1 RBP rating model shall be applicable for the financial year following the year of the conversion. In case of conversion of Payments bank (PB) to Small Finance Bank (SFB) etc, bank shall be considered for RBP in the year following the year of the conversion. For Vintage benefit, existence of bank prior to conversion shall also be considered.

Q13. What will be the premium rate for new banks registered during any premium cycle?

New bank registered shall be required to pay at the Card rate of 12 paise per annum (6 paise for HY) till the time sufficient data/information (audited financial year-end data and/or supervisory ratings) is available for rating the bank under RBP framework.

Q14. In case of merger/amalgamation of banks, how will premium be computed?

In case of merger of banks, banks shall pay at individual rates till effective date of merger. Thereafter, banks shall pay at rates applicable to acquiring/transferee bank. Vintage incentive shall be based on acquiring/transferee bank.

In case of amalgamation of two or more banks (amalgamating banks) to form a new entity, banks shall pay at individual rates till the effective date of amalgamation. Model rate for new entity shall be arrived based on the amalgamating banks, till sufficient

data/information is available for new entity. Higher of the vintage incentive of the amalgamating banks shall be considered.

Q15. For banks which are deregistered during a premium cycle, what will be the applicable premium rate?

Deregistration of bank affects period for which the premium is to be paid and not the rate at which premium is to be paid. For other instructions, please refer to the DICGC General Regulations, 1961 and extant instructions.

Q16. Whether effective premium rates and model ratings will be shared with *statutory auditor of the bank for certification that premium paid is correct?*

Premium amount payable by bank as per effective rate under RBP framework is auto computed in the system. However, Auditor shall verify and certify that AD figure reported by the bank, based on which premium amounts are calculated, are correct as per DICGC extant instructions.

Q17. Where to address queries/grievances on RBP?

Any query / grievance on RBP may be addressed to:

The Chief General Manager
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
(Risk Premium Rating Division)
Reserve Bank of India
2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station
Byculla, Mumbai – 400 008

Queries on RBP related matters can also be sent to the email id: depositinsurancepremium@rbi.org.in. Other queries may continue to be sent at respective email addresses mentioned on DICGC website.

Care should however be taken to ensure that information relating rating or the actual premium paid / payable, are not revealed in any manner.

*****